न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 58/2017 (225 आरटीए) श्रीमती चन्द्रीदेवी बनाम भाखरराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00278)

1 श्रीमति चन्द्री देवी पत्नि कालूराम पुत्री श्री रूपाराम, जाति मेघवाल, निवासी भूरियासनी तहसील मेडता शहर जिला नागौर पीहर का पता–गांव साथीन, तहसील–पीपाड शहर जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 भाखरराम पुत्र गेनाराम जाति मेघवाल निवासी टालनपुर तहसील मेडता जिला नागौर।
2 परमाई पत्नि भाखरराम गांव टालनपुर तह. मेडता जिला नागौर।
3 सीताराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी साथीन तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर।
4 राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर दिनांक 02.06.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 192/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन प्रकाश सोनी।
2 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार।
3 रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 192/2017 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 192/2017 पेश किया गया जिसमें अपीलार्थी/वादीनी ने यह कहते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद व

28/5
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादीनी श्रीमति जस्की उर्फ जस्सी व रूपाराम की जायंदा सन्तान है और वादीनी का ससुराल भूरियासनी है। वादीनी अपने पीहर अपने माता पिता के द्वारा मिली हुई सम्पति को देख रेख करने के प्रयोजन से जाती रहती है। वादीनी के माता पिता की वादी की एक मात्र जायन्दा सन्तान है। वादीनी को अप्रेल 2017 में इस वाद की जानकारी हुई थी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के द्वारा 27.6.1988 को तथाकथित रूप से बताये जा रहे। प्लोट व रहवासीय मकान जिसके अडोस–पडोस व नाप निम्न प्रकार हैः–

उतर दिशा अनोपसिंह, भंवरसिह राजपूत की जायदाद
दक्षिण दिशा पूनपाराम मेघवाल का मकान जायदाद
पूर्व दिशा निकाल व आम रास्ता
पश्चिम तरफ गुणेशरामजी मेघवाल कामकान

नाप– उतर भुजा 76 फिट, दक्षिण भुजा 71 फिट पूर्व भुजा 45 फिट पश्चिम भुजा 27 फिट है। इसका मिथ्या रूप से बेचान बता कर उस बेचान की आड में खसरा संख्या– 1462 व 1462/1 की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। वादीनी द्वारा समस्त तथ्यो की जानकारी प्राप्त कीगई तब वादीनी को यह पता चला कि दिनांक 27.6.1988 को तथाकथित रूप खसरा संख्या– 1462 व 1462/1 का बेचान फर्जी व गुप्त रूप से प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के पक्ष में मिथ्या तौर से करना बताया गया है और उस तथाकथित बेचाननामे की आड में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 इन खसरान की वादीनी के कब्जे की भूमि पर वादीनी को बेकब्जा करने पर आमादा है यह महत्वपूर्ण है कि इन दोनो खसरा की तमाम भूमि पर वादीनी ही आज दिन कामिल व काबिज है। हस्तगत प्रकरण में खसरा संख्या–1462 व 1462/1 वाके ग्राम साथीन में आये हुए है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा साक्ष्य के पक्ष में तथाकथित बताएगए बेचान में स्पष्टतः प्लाट का बेचान बताया गया और उस प्लोट के बेचान की आड में खसरासंख्या 1461 व 1462/1 के खातेदारी अधिकार प्रतिवादीगण स्वयं में नीहित होना मिथ्या तौर अभिकथित कर रहे। इनप्लोट के बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1172 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में मिथ्या तौर नामान्तरण किया गया जिसको पृथक से चुनौती देने का वादीनी का अधिकार सुरक्षित रखते हुए फिलहाल वादीनी के उक्त भूमि के कब्जे को संरक्षित करने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया। यद्यपि इन तथाकथित बेचान नामे से प्रतिवादीगण को इस भूमि के बाबत कोई भी कैसे भी अधिकार प्राप्त नहीं होते क्योकि वादीनी की माता श्रीमति जस्सी देवी ने वादीनी के पक्ष में दिनांक 1.7.2010 को अपनी साथीन की तमाम चल व अचल सम्पतियां वसीयत कर दी और यह वसीयत दिनांक 19.1.15 को श्रीमति जस्सी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रभाव में आ गई है। यह भी महत्वपूर्ण है कि 27.6.1988 को प्लोट के बाबत बताया जा रहा तथाकथित

2/8/15
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बेचाननामा भी प्रभावी नहीं क्योकि वादीनी की माता जसकी ने दिनांक 27.6.1968 को भाकरराम पुत्र गेनाराम जाति मेघवाल निवासी टालनपुर को उक्त जायदाद का बेचान नहीं किया क्योकि वादग्रसत जायदाद में वादीनी का वर्ष 1975 में रहवासीय मकान बना हुआ है जो मकान के लगी शिलालेख से जग जाहिर है। प्रतिवादी द्वारा एक बेचान रजिस्टी पेश की गई जो दिनांक 27.6.1988 की लिखी पेश की गई है जिसमें उक्त वादग्रस्त जायदाद के बेचाननामे में प्लाट लिखा हुआ है जबकि वादीनी का वर्ष 1975 में रहवासीय मकान बना हुआ है जो मकान के उपर लगी शिलालेख से जग जाहिर है कमिश्नर रिपोर्ट में भी स्पष्ट आया हुआ है कि एक मकान, साल मार्क क, घ, च, छ है जिसके दरवाजे के उपर पत्थर की शिला पर रूपाराम मेघवाल सम्वत 2032 चेत्रसुदी तीज बुधवार खुदाई की हुई है, सन् 1975 लिखा हुआ शिलालेख लगा हुआ है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से मिथ्या तौर से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–4 से मिलावट कर उपरोक्त वर्णित किया नामान्तरण व उस नामान्तरकरण की आड में की गई राजस्व रिकार्ड में हेरा–फेरी से खसरा संख्या 1462 व 1462/1 ग्राम साथीन के संबंध में वादीनी के खातेदारी अधिकारो पर कोई प्रभाव नहीं पडता है फिर भी एतयात के तौर पर वादी की ओर से इस भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का भी वाद प्रस्तुत गया है। इस वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया और विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया कि वाद पत्र के सभी तथ्यो का निस्तारण पक्षकारान की साक्ष्य लेकर हो सकता है। जब तक वाद पत्र का निस्तारण तब तक की अवधि के लिए वादीया के इस भूमि में स्थित कब्जे व उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी से रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और विद्वान अधिनस्थ न्यायालय से यह निवेदन किया गया कि अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे इस भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करे। अप्रार्थी संख्या–1 से 3 ने जवाब प्रस्तुत कर यह बताया कि अप्रार्थी संख्या एक व दो की खरीद सुदा कृषि भूमि को हडपने की नियत से प्रार्थीया ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके छल कपट करके तथाकथित रूपाराम की पुत्री बन कर सरासर झूठा दावा पेश किया है। प्रार्थीनी स्व. लिखमाराम की जायंदा पुत्री है। प्रार्थीनी का भाई शंकर पुत्र लिखमाराम है। प्रार्थीनी का पीहर बोरून्दा में है प्रार्थीनी का ससुराल भूरियासनी में है लिखमाराम का स्वर्गवास होने पर जसकी ने नाता विवाह रूपाराम से कर लिया जिससे रूपाराम व जसकी के कोई पुत्र व पुत्री संतान नही हुई। स्व. रूपाराम ला औलाद फौत हो गये जिस पर उनकी कृषि भूमि को फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1168 उनकी पत्नी जसकी बेवा रूपाराम के स्वीकृत किया गया उसकी बेवा रूपाराम ने पत्नि खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर–1462 में से 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि

2815
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अप्रार्थी संख्या–एक को एवं 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एवं 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये पंजिबद्ध बेचाननामा बेचान कर रखी है जिस पर वक्त खरीद से अप्रार्थी संख्या एक व दो सदभावी खरीददार की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है दिनांक 1.7.2010 को प्रार्थीनी ने जसीदेवी के वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठा कर फर्जी वसीयतनामा निष्पादित करवाया है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी तथ्यो पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन प्रकाश सोनी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया है कि प्रार्थी अपीलार्थी स्वर्गीय रूपारामजी की पुत्री है और इस संबंध में अप्रार्थी के स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात में श्रीमती जसी के धारा 97 सीआरपीसी में हुए बयानों में उसने स्पष्ट तौर से यह स्वीकार किया है कि चन्द्री उसकी पुत्री है और उससे उसका कोई लडाई टंटा नहीं है और बेटी कॉचली की धीरीयाणी होती है। इन तथ्यों को यदि प्रथम दृष्ठता देखा जावे तो प्रार्थी अपीलार्थी का रूपाराम व जस्की की पुत्री होने के नाते विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–1462 व 1462/1 ग्राम साथीन पर प्रथम दृष्टया अधिकार प्रार्थीनी अपीलार्थी का है जिससे नैसर्गिक उतराधिकार को उपेक्षित करते हुए पारित किया गया आक्षेपित आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर जरा भी गौर नहीं किया है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में हुआ बेचाननामा प्लोट के बाबत था और राजस्व भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या–3 के पक्ष में न तो प्रार्थीया के द्वारा न ही अप्रार्थी संख्या–1 और 2 के द्वारा कोई बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप हो सकता था क्योंकि प्रार्थीया और अप्रार्थी संख्या 1 से 2 अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति हैं और यह कृषि आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से ही संबंधित है जिसका विधिवत बेचान अप्रार्थी संख्या–3 स्वर्ण जाति के पक्ष में हो भी नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में यदि उसके पक्ष में कोई बेचान ही नहीं हो सकता है तो उस बेचान की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या–3 के पक्ष में किया गया नामान्तरण स्वयं अवैद्य व शुन्य रहता है जिस पर भरोसा करके

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पारित किया गया आक्षेपित आदेश कायम रखे जाने योग्य नही है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने दीवानी न्यायालय के द्वारा पक्षकारान के मध्य हुए वाद में नियुक्त किए गए कमिश्नर के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और वाद पत्र के जरिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात को पूर्ण रूप से अनदेखा करके आक्षेपित आदेश पारित किया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रार्थीया के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था और विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने की उतावली में स्पष्ट तौर से प्रार्थना पत्र निर्णय के प्रथम लाईन में यह कह कर निर्णय किया है कि प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 क आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित यह निर्णय स्पष्टतः बरखिलाफ रूएंदाद मिसल है जो कायम रखे जाने योग्य नही है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का हवाला अवश्य दिया है परन्तु उन न्यायिक दृष्टांतो में प्रतिपादित सिद्धान्तों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में से स्पष्ट तौर से यह न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया था कि यदि एक मृतक व्यक्ति के पीछे मॉ और बेटा दो उतराधिकारी है और नामान्तरकरण केवल मॉ के नाम से भरा गया है तो वह नामान्तरकरण विधि की दृष्टि में शुरू से शुन्य व अवैद्य है। हस्तगत प्रकरण में यह न्यायिक दृष्टांत पूर्ण रूप से चस्पा होता है और उस न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार हस्तगत प्रकरण में रूपारामजी के उतराधिकारीयों के रूप में उनकी पत्नी श्रीमती जस्की और उनकी पुत्री श्रीमती चन्द्री प्रार्थी/अपीलार्थी मौजूद है, इन दोनो की मौजूदगी में श्रीमती जस्की के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण शुरू से शुन्य व अवैद्य है और उस नामान्तरकरण की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या–1 और 2 के पक्ष में हुआ बेचाननामा शुन्य है। क्योंकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि किसी संव्यवहार का प्रथम भाग गलत है विधि विरूद्ध हैं तो उस संव्यवहार के अन्तिम छौर तक पहुॅचा गया सभी कार्य शुरू से शुन्य व अवैद्य है। यह तथ्य इस उदाहरण से स्पष्ट तौर से समझा जा सकता है कि यदि किसी पेड़ की जड़ में कोई खराबी है तो अन्ततोगत्वा उस पेड की तना, शाखाऍ, पत्तीयें और अन्ततोगत्वा उससे उत्पन्न हुए फूल–फल सभी उस जड़ की खराब स्थिति के कारण टिक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में प्रथम संव्यवहार ही विधि अनुरूप नहीं है तो उस संव्यवहार के अनुक्रम में हुए सारे संव्यवहार विधि की दृष्टि में प्रार्थीया के हक हकूकों के विरूद्ध शुन्य व बेअसर है। इस विधिक स्थिति को समझे वगैर पारित किया गया आक्षेपित आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस के समर्थन में नजीरें RRD 1996 पेज 148, RRD 2006 पेज 837, RRT 2010(1)221, RRT 2011-12(Supp) पेज 662 प्रस्तुत की है। अतः अपील

स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजस्व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील ओमप्रकाश ने वकालातनामा व जवाब प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो की खरीदसुदा कृषि भूमि को हडपने की नियत से प्रार्थीया ने कुटरचित दस्तावेज तैयार करके छल कपट करके तथाकथित रूपाराम की पुत्री बन कर सरासर झुठा दावा पेश किया हैं। प्रार्थीनी स्व. लिखमाराम की जायन्दा पुत्री है। प्रार्थीनी का भाई शंकर पुत्र लिखमाराम है। प्रार्थीनी का पीहर बोरून्दा में है। प्रार्थीनी का ससुराल भूरियासनी में है। लिखमाराम का स्वर्गवास होने पर जस्की ने नाता विवाह रूपाराम से कर लिया। जिससे रूपाराम व जस्की के कोई पुत्र व पुत्री संतान नही हुई। स्व. रूपाराम लाऔलाद फौत हो गये। जिस पर उनकी कृषि भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1168 उनकी पत्नि जसकी बेवा रूपाराम के स्वीकृत किया गया। जस्की बेवा रूपाराम ने पत्नि खातेदारी कृषिभूमि ख.न. 1462 में से 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या एक को एवं 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या दो को जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा बैचान कर रखी है। जिस पर वक्त खरीद से अप्राथी संख्या एक व दो सदभावी खरीददार की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 01.07.2010 को प्रार्थीनी ने जस्कीदेवी के वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठा कर फर्जी वसीयतनामा निष्पादित करवाया है। जसकी बेवा रूपाराम ने पत्नि खातेदारी कृषि भूमि ख.न. 1462 में से 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या एक को एवं 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या दो को जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा बैचान कर रखी है। जिस पर वक्त खरीद से अप्रार्थी संख्या एक व दो सदभावी खरीददार की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। हमने यूको बैंक गोटन से ऋण भी ले रखा है। इन्होने बैंक को भी पक्षकार नही बनाया है। ख.न. 1294 प्रार्थीनी चन्द्री ने खुद 21.05.2001 को खरीदा है। दिनांक 01.07.2010 को प्रार्थीनी ने जसीदेवी के वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठा कर फर्जी वसीयतनामा निष्पादित करवाया है। वसीयत की दिनांक को कोई सम्पति जस्सी के पास नही थी। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से अधीनस्थ न्यायालय ने सही खारिज किया है अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है तदनुसार खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः उचित निर्णय किए जाने बाबत निवेदन किया गया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह इस प्रकार है :–

"हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एवं जवाब दावा का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित विवरण में जो प्लोट 27.06.1988 को खरीद कर उसकी आड़ में ख.न. 1462 व 1462/1 की भूमि पर कब्जा करना कथित किया है, इस सम्बन्ध में पंजीयन दस्तावेज 27.06.1988 को दस्तावेज संख्या 389/88 पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ संख्या 177 पर पंजीबद्ध किया गया है वह आवासीय प्लोट से सम्बन्धित है। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब के साथ पेश दस्तावेजो के अनुसार जस्की बेवा रूपाराम द्वारा श्री भाकरराम पुत्र गेनाराम को 27.06.1988 को ग्राम साथीन की भूमि ख.न. 1462 में से 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिफल रूप से 20,000 में दस्तावेज संख्या 388/88 पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ संख्या 176 पर पंजीबद्ध हुआ है एवं जस्की बेवा रूपाराम द्वारा ही ग्राम साथीन की भूमि ख. न. 1462 में से 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिफल रुपये 20,000 रुपये में दस्तावेज संख्या 387/88 पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ संख्या 175 पर पंजीबद्ध हुआ है। ग्राम साथीन के ख.न. 1462 रकबा 39 बीघा 2 बिस्वा जस्की को अपने पति से विरासत में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1168 दिनांक 01.06.1988 द्वारा प्राप्त हुई थी। जस्की द्वारा ख.न. 1462 का बेचान करने पर भाकरराम पुत्र गेनाराम एवं श्रीमती परमाई पत्नी भाकरराम को नामान्तरकरण संख्या 1172 द्वारा प्राप्त हुई।

इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वर्तमान में इस भूमि के खातेदार काश्तकार है, इन्होने इस पर कृषि ऋण भी प्राप्त कर रखा है। वकील प्रार्थीनी ने अपनी बहस के समर्थन में नजीर के रूप मे RRD 2006 पेज 837,RRT 2010(1)221, RRT 2011(1)329 प्रस्तुत की है। प्रस्तुत नजीरे इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नही होती है। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि ख.न. 1462 एवं 1462/1 के रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार का कब्जा होने की प्रकल्पना धारा 140 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में की गयी है। कब्जे के बारे मे कोई विश्वास करने योग्य राजस्व रेकार्ड प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर प्रार्थीनी का प्रथम दृष्टया कब्जा भूमि विवादास्पद पर माना जा सके। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया कब्जा भूमि विवादास्पद पर माना जा सके। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में जाहिर होता है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जमाबन्दी के अनुसार रिकार्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थीनी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र

2/8/15
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।"

9 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से एवं पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड के अध्ययन से इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। अस्थाई निषेघाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर केवल प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु को ही तय किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का इन बिंदुओं पर किया गये विवेचन से भी हम पूर्णतया सहमत हैं। यदि प्रार्थिया के कोई हक एवं अधिकार वादग्रस्त भूमि में होंगे तो वे अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद के विचारण में साक्ष्य एवं दस्तावेजों से ही तय होंगे। प्रार्थना पत्र की स्टेज पर दावे में वर्णित रिलीफ अपीलांट के पक्ष में निर्णित होने की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अपीलांट अधिवक्ता की ओर से अपनी बहस के समर्थन में नजीर के रूप मे RRD 1996 पेज 148, RRD 2006 पेज 837, RRT 2010(1)221, RRT 2011-12(Supp) पेज 662 प्रस्तुत की है। प्रस्तुत नजीरों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने से पूर्णतया चस्पा नही होती है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2017 यथावत रखा जाता है।

28/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर